न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री हिम्मत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 52/2011
निर्णय दिनांकः– 13.05.2014

उनवान

आनन्दीलाल पुत्र श्रीकिशन जाति अहीर निवासी रहमाननगर तहसील उनियारा जिला टोंक
– प्रार्थी

बनाम

1. चतरू पुत्र रामा जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज.
2. रामफुल पुत्र भौमपाल जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज.
3. जगदीश पुत्र भौमपाल जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज.
4. जयराम पुत्र सुरज्या जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज.
5. लोडक्या पुत्र सुरज्या जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज.
6. हरफुल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवांई माधोपुर राज.
7. भरतलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवांई माधोपुर राज.
8. कैलाश पुत्र जयराम जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राज.

–प्रतिपक्षीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री बी.यू.खान वकील प्रार्थी
श्री बाबुलाल कासलीवाल वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 108 रकबा 2.59 हैक्टर वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा निरंतर मौके पर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहेमत व मदाखलत करने तथा मारपीट करने पर आमादा है तथा ऐन केन प्रकारेण

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

वह प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 108 रकबा 2.59 हैक्टर वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा में प्रार्थी के 1/4 हिस्से में किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नहीं करें, ना ही प्रार्थी को बेदखल करें, ना उसके कब्जे काश्त में बाधा डालें, ना तो स्वयं और ना जरिये ऐजेन्ट, नौकर, पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 09.02.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी। श्री बी.एल. कासलीवाल वकील ने प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् निरस्त करने एकतरफा कार्यवाही पेश किया, अप्रार्थी वकील को काई आपत्ति नहीं होने पर प्रार्थना–पत्र बाबत् निरस्त करने एकतरफा कार्यवाही स्वीकार किया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी ने अपना हिस्सा प्रतिपक्षीगण को जरिये इकरारनामा रहन रखकर कब्जा सम्भला दिया था तथा विक्रय राशि तय कर ली थी, तब से उक्त आराजी पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को नाजायज परेशान नहीं कर रहे है, बल्कि प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई है और वह अपने द्वारा विक्रय की गई वादग्रस्त भूमि को पुनः हडपने की नियत से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने उक्त आराजीयात पर आज से करीब 18 वर्ष पूर्व प्रतिपक्षीगण को कब्जा सम्भला दिया था, तब से प्रतिपक्षीगण उक्त आराजी को निर्विघ्न व निरंतर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 108 रकबा 2.59 हैक्टर में अपना हिस्सा प्रतिपक्षीगण के पास दिनांक 23.6.1994 को जरिये इकरारनामा 30,000/– रूपये में रहन रख दिया था तथा कब्जा प्रतिपक्षीगण को सुपुर्द कर दिया था, तब से प्रतिपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात पर निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त इकरार नामें में ही प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण से 10,000/– रूपये 2/– प्रति सैकडा प्रतिमाह की दर से उधार लिये थे तथा साथ ही वादग्रस्त भूमि का मूल्य 60,500/– रूपये तय किये थे तथा उक्त आराजी का बेचाननामा प्रतिपक्षीगण के हक में पंजीबद्ध करवाने का इकरार किया था, लेकिन प्रतिपक्षीगण द्वारा बार–बार कहे जाने के बावजूद प्रार्थी ने आज तक उक्त इकरारनामें के अनुसार वादग्रस्त भूमिका विक्रय पत्र प्रतिपक्षीगण के हक में पंजीबद्व नही करवाया । वादग्रस्त आराजी का मूल्य बढ जाने के कारण मन में बेईमानी आ गई और अब वह अपने द्वारा जरिये इकरारनामा विक्रय की गई वादग्रस्त भुमि से प्रतिपक्षीगण को नाजायज तरीके से न्यायालय की आड में बेदखल करना चाहता है। जरिये इक़रारनामा दिनांक 23.06.1994 रहन रखी गई वादग्रस्त भुमि पर आज तक निरंतर काबिज चले आ रहे है इस कारण भी वाद व प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान वकीलो की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। प्रतिपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

वकील ने दस्तावेज नकल इकरारनामा, नकल एफ.आई.आर. संख्या 16/2013 पुलिस थाना अलीगढ व नकल चार्जशीट, नकल नक्शामौका व बयान धारा 161 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र का निम्न दस्तावेजात के आधार पर अवलोकन कर खारिज फरमाया जावे।

बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल इकरारनामा से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपना हिस्सा प्रतिपक्षीगण के पास दिनांक 23.6.1994 को जरिये इकरारनामा 30,000/– रूपये में रहन रख दिया था तथा कब्जा प्रतिपक्षीगण को सुपुर्द कर दिया था। उक्त इकरार नामें में ही प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण से 10,000/– रूपये 2/– प्रति सैकडा प्रतिमाह की दर से उधार लियें थे तथा साथ ही वादग्रस्त भूमि का मूल्य 60,500/– रूपये तय किये थे तथा उक्त आराजी का बेचाननामा प्रतिपक्षीगण के हक में पंजीबद्ध करवाने का इकरार किया था।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 108 रकबा 2.59 हैक्टर वाके ग्राम रहमाननगर तहसील उनियारा में प्रार्थी के 1/4 हिस्से को प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण को जरिये इकरारनामा रहन रखा था तथा विक्रय राशि तय कर ली थी। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द कर दिया गया तो अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी की अपेक्षा प्रतिपक्षीगण को ही अधिक होगी। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

हिम्मत सिंह
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner